तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी

25.11.2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री रविन्द्र सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह राजपुरोहित निवारी– सरवड़ी सवोदा पुरोहितान पंचपदरा बाड़मेर मैसर्स–न्यु जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सरकारी अस्पताल के सामने अजीतगढ़ सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 24.05.2019 को समय 2:40 पी.एम. पर अजीतगढ़ सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स न्यू जोधपुर मिष्ठान भण्डार, में अप्रार्थी श्री रविन्द्र सिंह गुलाब जामुन का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। रविन्द्र सिंह से वर्ष 2019 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2019 होना बताया व दिखाया।

फर्म पर अप्रार्थी द्वारा गुलाब जामुन का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 2 कि.ग्रा. गुलाब जामुन खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री रविन्द्र सिंह को 360रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–1519 खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 51,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं [illegible] एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावें। जूर्माना राशि [illegible] पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत [illegible] जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] होकर दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
[illegible]